डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Empowerment of Persons with Disabilities Department
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

1. कुलपति	:	अध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण	:	सदस्य
3. प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य	:	सदस्य
4. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य	:	सदस्य
5. डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	:	सदस्य
6. परीक्षा नियंत्रक	:	सदस्य
7. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	:	सदस्य
8. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।	:	सदस्य
9. प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।	:	सदस्य
10. प्राचार्य, विमला महाविद्यालय, लखनऊ।	:	सदस्य

पत्रांक : COE-209 /पत्रा.COE-31/DSMNRU/2020–21 दिनांक: 29 जनवरी, 2021

महोदया/महोदय,

कृपया डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परीक्षा समिति की अष्ठम् बैठक दिनाँक 23.01.2021 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोपरि।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के परीक्षा समिति की अष्ठम् बैठक दिनाँकः 23 जनवरी, 2021 का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न 12: 00 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की अष्ठम् बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/8	**परीक्षा समिति की सप्तम् बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सप्तम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/8	**परीक्षा समिति की सप्तम् बैठक दिनांक 13 मई, 2020 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति की सप्तम् बैठक में बिन्दुवार लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति अवगत हुई।
3/8	**स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 कराये जाने के सम्बन्ध में**
	निर्णयः–परीक्षा समिति को स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विगत् वर्षों की अंतिम सेमेस्टर/वार्षिकी परीक्षाओं (मई–2014/मई–2015/मई–2016/मई–2017/मई–2018/मई–2019 तक प्रतिभाग कर चुके अर्थात जिनके पाठ्यक्रम की अवधि सत्र 2018–19 में पूर्ण हो चुकी है) में अध्ययनरत् रह चुके ऐसे विद्यार्थीगण जिनके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रचलित सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत अधिसत्र/सत्रान्त परीक्षाओं के साथ–साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम, 2014 के बिन्दु संख्या–6–RE-APPEAR EXAMINATION (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 एवं 6.7) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बैक पेपर परीक्षा हेतु प्रदत्त व्यवस्थानुसार प्रतिभाग करने के पश्चात् भी किसी न किसी सेमेस्टर/वर्ष में अनुत्तीर्ण रहें थे/परीक्षायें किन्ही कारणवश छूट गई थीं, उनके भविष्य के दृष्टिगत विद्यार्थी हित में विश्वविद्यालय प्राधिकृत बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार निर्दिष्ट शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2020 की आयोजित परीक्षा माह मार्च, 2020 में तथा कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न संकट की विषम परिस्थिति के दृष्टिगत् स्थगित शेष परीक्षायें माह सितम्बर/अक्टूबर, 2020 में सम्पादित कराई जा चुकी हैं। उक्त के आलोक में विद्यार्थियों के भविष्य हित के दृष्टिगत् एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए ऐसे समस्त संबंधित विद्यार्थियों (जिनका किसी विषय/प्रश्न–पत्र में SGPA/CGPA 5.6 से कम हो अथवा C ग्रेड प्राप्त किया हो अथवा अनुत्तीर्ण (F ग्रेड) हो, को मिड सेमेस्टर टेस्ट/मौखिकी/प्रायोगिक परीक्षा तथा पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुपस्थित एवं अनुत्तीर्ण विषयों/पेपरों हेतु स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2020 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार ही निर्दिष्ट शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्धारित शुल्क को प्राप्त करते हुए निम्नानुसार संबंधित विद्यार्थियों की स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 का कराये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है– 01) ऐसे विद्यार्थीगण जो विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की सेमेस्टर/ वार्षिकी परीक्षा मई–2020 में प्रतिभाग कर चुके अर्थात जिनके पाठ्यक्रम की अवधि सत्र 2019–20 में पूर्ण हो चुकी है तथा वे विद्यार्थीगण विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम, 2014 के बिन्दु संख्या–6–RE-APPEAR EXAMINATION (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 एवं 6.7) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बैक पेपर परीक्षा हेतु प्रदत्त व्यवस्थानुसार प्रतिभाग करने के पश्चात् भी किसी न किसी सेमेस्टर/वर्ष में अनुत्तीर्ण रहें थे अथवा परीक्षायें किन्ही कारणवश छूट गई थीं, उन्हें स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 में आवेदन किये जाने की

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	अनुमति प्रदान की जाती है। 02) उक्त के अतिरिक्त ऐसे विद्यार्थीगण भी जिनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के अन्तर्गत सत्रान्त परीक्षा माह–मई–2020 में आयोजित समस्त संचालित पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न संकट की विषम परिस्थिति/अपिरहार्य कारणों से उक्त परीक्षाओं में प्रतिभाग करने में असमर्थ/वंचित रहे हैं, उन्हें स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 में आवेदन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। 03) उक्त के साथ–साथ विगत् वर्षों की अंतिम सेमेस्टर/वार्षिकी परीक्षाओं (माह मई–2014 से माह मई–2019 तक प्रतिभाग कर चुके) में अध्ययनरत् रह चुके ऐसे विद्यार्थीगण जो विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम–2014 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार बैक पेपर परीक्षा हेतु प्राप्त अवसरों के पश्चात् भी किसी न किसी सेमेस्टर/वर्ष में अनुत्तीर्ण रहें थे, उनके द्वारा (किन्ही कारणों से) पूर्व में आयोजित स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2020 में प्रतिभाग करने के लिये आवेदन नही किया जा सका/प्रतिभाग नहीं किया जा सका है, उन्हें स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 में आवेदन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। 04) उपर्युक्त बिन्दु संख्या–03 के आलोक्य में अनिवार्य रूप से यह प्रतिबन्ध लागू किया जाय (परीक्षा समिति के बिन्दु संख्या–11/08 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कल्याणं करोति, मथुरा के प्रकरण पर हुई चर्चा को छोड़कर) कि **पूर्व में आयोजित स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2020 में निर्दिष्ट शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार आवेदन कर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2020 में (अगस्त–सितम्बर, 2020) में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा, चूंकि वह उनका अन्तिम अवसर था।** 05) **इस संबंध में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 में प्रतिभागी/आवेदित/संबंधित विद्यार्थी के साथ–साथ उनके अभिभावक द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र भी अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा कि "स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रश्न–पत्र/विषय में एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जानी है कि ऐसे समस्त विद्यार्थियों को दिया जाने वाला यह अन्तिम अवसर होगा, इसके पश्चात् इस संबंध में कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तथा यह भविष्य के लिये दृष्टान्त नहीं माना जाएगा। संबंधित विद्यार्थी की स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाने वाला संबंधित परीक्षा परिणाम अन्तिम व सर्वमान्य होगा।"** 06) उपर्युक्तानुसार स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 हेतु परीक्षा की विभिन्न विधाओं में निम्नानुसार पूर्व में आयोजित स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2020 में निर्धारित किये गये शुल्क की भॉति ही जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय के दिशा–निर्देशानुसार आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगाः– 1. थ्योरी पेपर — रू0 500/– प्रति प्रश्न–पत्र। 2. प्रायोगिक परीक्षा (आन्तरिक एवं वाह्य) — रू0 1000/– प्रति प्रश्न–पत्र। 3. आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर/प्रोजेक्ट/प्रजेन्टेशन/मौखिकी आदि) — रू0 250/–प्रति प्रश्न–पत्र। उपर्युक्तानुसार परीक्षा समिति द्वारा बिन्दु संख्या–01 से 06 तक में निहित व्यवस्थानुसार स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 के आयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/8	**मिड सेमेस्टर परीक्षा (आंतरिक परीक्षा) एसाइनमेन्ट के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में 27 जनवरी, 2021 से 05 फरवरी, 2021 के मध्य में आयोजित मिड सेमेस्टर टेस्ट (आंतरिक परीक्षा) के अन्तर्गत मात्र एसाइनमेन्ट के आधार पर विद्यार्थियों को मिड सेमेस्टर टेस्ट (आंतरिक परीक्षा) हेतु निर्धारित पूर्णांक मानकर मूल्यांकन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/8	**सम एवं विषम सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा कराये जाने के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम, 2014 के बिन्दु संख्या–6–RE-APPEAR EXAMINATION (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 एवं 6.7) में गैर दिव्यांग विद्यार्थी को 01 अवसर तथा दिव्यांग विद्यार्थी को 02 अवसर प्रदान किये जाने हेतु उल्लिखित व्यवस्थान्तर्गत यदि किसी प्रश्न–पत्र में F ग्रेड अथवा किसी अधिसत्र में SGPA/CGPA, 5.6 से कम हो, तो वह C ग्रेड वाले प्रश्न–पत्र

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

में सम्बन्धित अधिसत्र के मात्र 02 प्रश्न–पत्रों का बैक पेपर परीक्षा दिये जाने का प्राविधान है। अतः विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध/सम्बद्ध रह चुके महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित समस्त अधिसत्र/वार्षिकी पाठ्यक्रमों की सत्रान्त परीक्षा–मई, 2020 के अन्तर्गत वार्षिकी/सम अधिसत्र (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम् आदि) एवं अधिसत्र परीक्षा दिसम्बर, 2020 के अन्तर्गत विषम अधिसत्र (प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम् आदि) में अध्ययनरत् अर्ह विद्यार्थियों के लिए बैक पेपर परीक्षा–जनवरी, 2021 का आयोजन हेतु ऑन–लाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 05.01.2021 से भराये जाने हेतु दिनांक 23.01.2021 तक विस्तारित करते हुए आमंत्रित किये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विद्यार्थियों के भविष्य हित के दृष्टिगत् कोविड–19 वैश्विक महामारी के संकट से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति प्रत्येक वर्ष के दोनों अधिसत्रों में कुल मिलाकर अथवा पृथक–पृथक अधिसत्र में 04 या 04 से कम प्रश्न–पत्रों में बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने तथा अगले सेमेस्टर में नियमानुसार प्रोन्नत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

6/8

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष चुनौती मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में।

निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक दिनाँक 12.03.2020 के बिन्दु संख्या–9/6 में चुनौती मूल्यांकन हेतु अनुमोदित प्रस्ताव को निष्प्रभावी करते हुए राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–7443/03– जी0एस0/2019(TC), दिनाँक 26.11.2020 के माध्यम से विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) प्रस्तावित अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में संलग्न गाइड लाईन (मानक निर्देश) को शैक्षणिक सत्र–2020–21 से निम्नानुसार अंगीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया :–

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) दो चरणों में होगा–

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के प्रथम चरण के लिये परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के प्रथम चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 300/– प्रति प्रश्न–पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में –

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैतालीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 2500/– प्रति प्रश्न–पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया –

1. प्रत्येक प्रश्न–पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों की एक नामावली (panel) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ/परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	4. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/परीक्षक के सम्मुख उपस्थिति करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए। 5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छायाप्रतियाँ तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। **चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में–** 1. दोनों विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए। 2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक। 3. यदि औसत और मूल प्राप्तोंकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/–में से रू0 1000/–की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए। **मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में–** 1. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए। 2. यदि ऐसे परीक्षक के 3 (तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न–पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, संबंधित प्रश्न–पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5 (पाँच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न–पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न–पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ–साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए। उपरोक्त के क्रम में परीक्षा समिति द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक दिनाँक 12.03.2020 के बिन्दु संख्या–9/6 में चुनौती मूल्यांकन हेतु अनुमोदित प्रस्ताव को निष्प्रभावी करते हुए राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) हेतु उल्लिखित गाइड लाइन (मानक निर्देश) को उन पर प्रवृत्त विधियाँ, उपविधियों आदि की व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय में लागू/अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। तदनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम, 2020 के बिन्दु संख्या–07–चुनौती मूल्यांकन हेतु यथावत् लागू करते हुए उक्त सीमा तक ही संशोधित माना जाय। यह नियम सत्र–2020–21 से प्रभावी होगा।
7/8	**कोविड–19 वैश्विक महामारी के संकट के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र–2019–20 की परीक्षाओं के सम्बन्ध में** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/8	**विद्यार्थियों की अंकतालिका/उपाधि में संशोधन कराने तथा शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि के कारण उनकी अंकतालिका/उपाधि में संशोधन कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के उपरान्त उन विद्यार्थियों से अंक तालिका/उपाधि के संशोधन कर उपलब्ध कराये जाने हेतु शुल्क के रूप में धनराशि रू0 500/–प्रति अंक तालिका/उपाधि का निर्धारण किये जाने तथा विश्वविद्यालय स्तर से त्रुटि होने की स्थिति में विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
9/8	**मेडिकल पाठ्यक्रम के सप्लीमेन्ट्री शुल्क निर्धारण के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ में संचालित MBBS पाठ्यक्रम की मुख्य परीक्षा के साथ–साथ पूरक परीक्षायें भी आयोजित कराई जाती है। एम.बी.बी.एस. मेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययरनरत् विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु वार्षिकी परीक्षा शुल्क रू0 14500/–निर्धारित है। उक्त पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षा (एक, दो या दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो) हेतु भी ऑन लाइन परीक्षा आवेदन के साथ रू0 14500/–शुल्क ही प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में विद्यार्थियों एवं उनके अभिवावक पर पड़ रहे वित्तीय बोझ/वित्तीय असन्तुलन को दृष्टिगत् रखते हुए प्राचार्य, टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या TSMMC&H/Admin/Univ/2021/697 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा एम.बी.बी.एस. की पूरक परीक्षा

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	हेतु परीक्षा शुल्क प्रति विषय रू0 3500/–(तीन हजार पॉच सौ रूपये मात्र) का निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचार–विमर्शोपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ की MBBS पाठ्यक्रम की माह फरवरी, 2021 में प्रस्तावित पूरक परीक्षा के साथ परीक्षा शुल्क प्रति विषय रू0 3500/–(तीन हजार पॉच सौ रूपये मात्र) का निर्धारण करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/8	**मेडिकल पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा न्यूनतम् पारिश्रमिक के निर्धारण के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार सम्बद्ध संस्थाओं में संचालित मेडिकल, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष निम्नवत् पारिश्रमिक धनराशि प्रदान की जाती हैः–

कमांक	विश्वविद्याल से सम्बद्ध संस्थान का नाम	संचालित पाठ्यकम का नाम	परीक्षार्थियों से लिया जाने वाला निर्धारित परीक्षा शुल्क (वार्षिकी)	उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष पारिश्रमिक धनराशि
1	टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	एम0बी0बी0एस0	रू0 14,500/–मात्र	विश्वविद्यालय में लागू (शासनादेश दिनांक 09.03.2019 के अनुसार) 1. स्नातक स्तरीय पाठ्यकम हेतु रू0 20/– मात्र प्रति उत्तर पुस्तिका। 2. परास्नातक स्तरीय पाठ्यकम हेतु रू0 25/– मात्र प्रति उत्तर पुस्तिका।
2	टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ नर्सिंग, लखनऊ।	बी0एस0सी0(नर्सिंग)	रू0 6000/–मात्र	
3	टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्स, लखनऊ।	बी0एस0सी0 (एम0एल0टी0) बी0पी0टी0	रू0 6000/–मात्र	

विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था है। तद्क्रम में सम्बन्धित विषय–विशेषज्ञों/परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आमंत्रित किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन जिससे परीक्षक/विशेषज्ञ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ससमय नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप परीक्षा परिणाम घोषित करने में भी विलम्ब होता है। उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 12.03.2020 को आयोजित विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 6वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 06.05.2020 के बिन्दु संख्या–10/06 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में संबंधित संस्थाओं से पत्राचार किया गया जिसमें से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से प्राप्त कार्यालय आदेश दिनांक 30.03.2016 के अनुसार स्नातक स्तरीय संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यकम की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पुनरीक्षित पारिश्रमिक की दर प्रति उत्तर पुस्तिका रू0 50/–मात्र निर्धारण किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् परीक्षा समिति द्वारा स्नातक स्तरीय संचालित मेडिकल, नर्सिंग तथा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पुनरीक्षित पारिश्रमिक की दर प्रति उत्तर पुस्तिका रू0 50/–मात्र निर्धारण कियो जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के साथ–साथ परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचार–विमर्शोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यकमों में यदि एक विषय कोड में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 10 या 10 से कम है तो परीक्षकों को स्नातक स्तर पर न्यूनतम् रू0 200/–मात्र तथा परास्नातक स्तर पर न्यूनतम् रू 250/–मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

11/8(1)	**बैक पेपर परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क के संशोधन के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा बैक पेपर परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित शुल्क धनराशि रू0 500/–प्रति प्रश्न–पत्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
11/8(2)	**अधिसत्र परीक्षा माह दिसम्बर, 2020 के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में संपादित की जाने वाली अधिसत्र परीक्षा माह दिसम्बर, 2020 जो कि कोविड–19 वैश्विक महामारी से संकट से उत्पन्न विषम परिस्थिति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परीक्षा पद्धति/प्रणाली के अनुसार वर्ष में दो बार आयोजित कराये जाने वाली परीक्षा (अधिसत्र परीक्षा माह दिसम्बर एवं सत्रांत परीक्षा माह मई) के असंतुलन को संतुलित/निश्चित

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	समयावधि में सीमित किये जाने हेतु माह दिसम्बर, 2020 में आयोजित न हो पाने वाली परीक्षा के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के विषम अधिसत्र की परीक्षा माह मार्च, 2021 में करायी जायेगी। साथ ही वार्षिकी/सत्रांत परीक्षा माह मई, 2021 की परीक्षा को माह जुलाई, 2021 में सम्पादित कराया जाना है। उक्त प्रस्ताव के दृष्टिगत् परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचार–विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अधिसत्र परीक्षा–माह दिसम्बर, 2020 को माह मार्च के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ करते हुए दिनांक 26.03.2021 तक परास्नातक स्तर की परीक्षा को संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा समिति की सप्तम् बैठक दिनाँक 13 मई, 2020 के निर्गत कार्यवृत्त बिन्दुं संख्या–3/7, 4/7, 5/7 में लिये गये निर्णयानुसार एवं दिनाँक 02.09.2020 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के निर्गत कार्यवृत्त दिनाँक सी.ओ.ई.–89 दिनाँक 24.09.2020 में लिये गये निर्णयों की भाँति ही सम्पादित कराई जाय। स्नातक/डिप्लोमा स्तर की परीक्षा को परीक्षा नियत्रंक कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्व की भाँति ही सम्पादित कराया जायेगा। साथ ही वार्षिकी/सत्रांत परीक्षा माह मई, 2021 की परीक्षा को माह जुलाई, 2021 में सम्पादित कराये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
11/8(3)	**विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में परीक्षा से सम्बन्धित कार्य को सम्पादित करने वाली ऐजेन्सी/फर्म के भुगतान के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा विभाग के अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धित कार्य (परीक्षाफल एवं अंक–पत्र निर्माण आदि) को सम्पादित कर रही एजेन्सी/फर्म के समस्त भुगतान के सम्बन्ध में माह मई, 2020 के अन्तर्गत प्रस्तुत अन्तिम बिल में से 50 प्रतिशत धनराशि को इस आशय से रोका जाय कि एजेन्सी/फर्म लम्बित समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए पूर्व से वर्तमान तक के समस्त परीक्षाफलों के टेबुलेशन चार्ट विकसित करते हुए उसकी साफ्ट एवं हार्ड कापी के साथ–साथ परीक्षा से सम्बन्धित/अपेक्षित समस्त डाटा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरांत ही शेष रोके गये भुगतान को किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
11/8(4)	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय कल्याणं करोति, मथुरा के प्रतिनिधि श्री राम प्रकाश प्रजापति द्वारा बी0एड0 विशेष शिक्षा (एम0आर0) के सत्र–2015–16 के परीक्षा परिणाम में संशोधन हेतु अनुरोध करते हुए इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त कक्षा में आठ ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण दर्शाया गया, जिनके प्राप्तांक (परीक्षा विनियम 2014 में प्राविधानित व्यवस्था) 40 प्रतिशत से कम थे, जो कि प्रथम दृष्ट्या एक गंभीर त्रुटि है और तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक और उनके कार्यालय की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली को परिलक्षित करता है। इसी क्रम में एप्लाइड सांख्यिकी विभाग से सम्बन्धित रिसर्च कोर्स वर्क (सत्र–2016–17) हेतु विद्यार्थियों को निर्गत प्रमाण–पत्र में भी मात्र सांख्यिकी विषय का उल्लेख किया गया है, जबकि एप्लाइड सांख्यिकी का कोर्स वर्क था। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित शोधार्थियों को अपना शोध प्रबन्ध जमा करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त प्रकरणाों से संज्ञानित होते हुए परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दोनों प्रकरणों तथा सत्र–2015–16, 2016–17 एवं 2017–2018 के मध्य सम्पादित समस्त परीक्षाओं एवं उनके परीक्षा परिणाम (अंक तालिका, डिग्री आदि सहित) तथा शोध कार्य से सम्बन्धित कोर्स वर्क की परीक्षा, उनके प्रश्न–पत्र के प्रारूप, उनकी समयावधि, मूल्यांकन तथा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र/अंक तालिका की छात्रहित में गहन जाँच मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित जाँच समिति के माध्यम से सम्पादित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। जाँच समिति से प्राप्त आख्या के आधार पर छात्र हित में मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
	बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow